THE COASTAL REGULATION ZONE (CRZ) NOTIFICATION 2011

A primer for coastal fishing communities (Draft)

in Hindi

June 2011

तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना 2011

तटीय मछुआरा समुदायों के लिए एक प्रवेशिका

भूमिका

6 जनवरी 2011 को, पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयराम रमेश ने तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना 2011 (भारत सरकार 2011) जारी किया। यह अधिसूचना तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना 1991 की समीक्षा के लिए कई वर्षों तक चली ऐसी विचार–विमर्श की प्रक्रिया की समाप्ति का संकेत है, जिसने कि मछुआरा समुदाय एवं पर्यावरणीय समूहों के बीच ऊंची उम्मीदों को बढ़ावा दिया था।

इस प्रवेशिका को मछुआरा समुदायों एवं समर्थक संगठनों के बीच 2011 की अधिसूचना के विषयवस्तु, मछुआरा समुदाय के संगठनों के बीच जारी चिंता के मुद्दों, और तटीय इकोसिस्टम की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा निभायी जा सकने वाली भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रवेशिका का भाग 1 अधिसूचना, मछुआरा समुदाय के हितों के लिए एवं खिलाफ कार्य कर सकने वाले प्रावधान, एवं मछुआरा समुदाय द्वारा निर्णय प्रक्रिया, निगरानी एवं प्रवर्तन में निभायी जा सकने वाली अहम भूमिका का सन्दर्भ प्रदान करता है।

प्रवेशिका का भाग 2 (अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है) 2011 की अधिसूचना की विषयवस्तु एवं प्रमुख प्रावधानों पर सरल तरीके से जानकारी प्रदान करता है।

भाग 1

1. तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011 क्या है?

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011, अपने 12 नॉटिकल मील क्षेत्रीय जल सीमा और ज्वार प्रभावित जल निकायों तक देश के तटीय फैलाव एवं जल क्षेत्रों को तटीय नियमन क्षेत्र के तौर पर घोषित करता है, और इस क्षेत्र में उद्योगों, गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगाती है।

सीआरजेड अधिसूचना 2011, सीआरजेड अधिसूचना 1991 की जगह लेती है। विशेष रूप से 2011 की अधिसूचना उन सभी संशोधनों को संहिताबद्ध करती है जो कि 2011 की अधिसूचना के थी, उनमें से ज्यादातर ने 1991 की अधिसूचना को कमजोर किया है। इस तरह, सीआरजेड 2011 भारत के समुद्र तट की सुरक्षा को बढ़ाने के सन्दर्भ में एक कदम पीछे हटी है।

अधिसूचना के निर्धारित उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- तटीय क्षेत्र में रहने वाले मछुआरों एवं अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- तटीय फैलावों, उसके विशिष्ट पर्यावरण एवं उसके समुद्री क्षेत्र को संरक्षित एवं सुरक्षित करना; और
- तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र तल में वृद्धि के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतो पर आधारित टिकाऊ तरीकों के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना।

2011 की अधिसूचना सीआरजेड को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करती है : सीआरजेड–I (पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र), सीआरजेड–II (निर्मित क्षेत्र), सीआरजेड–III (मूलतः ग्रामीण क्षेत्र) एवं सीआरजेड– IV (क्षेत्रीय जल और ज्वार प्रभावित जल निकायों सहित जल क्षेत्र)।

2. सीआरजेड अधिसूचना 2011 एवं सीआरजेड अधिसूचना 1991 के बीच कुछ प्रमुख अंतर क्या है?

- **क्षेत्रीय जलों का समावेश** : पूरे जल क्षेत्र – 12 नॉटिकल मील तक क्षेत्रीय जल एवं समुद्र तल क्षेत्र और ज्वार प्रभावित जल निकायों के जल एवं तल क्षेत्र, जैसे कि छोटी धाराओं, नदियों एवं ज्वारनदमुखों, को 2011 की अधिसूचना के अंतर्गत लाया गया है।
- **द्वीप समूहों के लिए अलग अधिसूचना** : अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप और इन द्वीप समूहों से घिरे समुद्री क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमा तक, 2011 की अधिसूचना के दायरे में नहीं आते हैं। इन क्षेत्रों को शामिल करने के लिए एक अलग द्वीप समूह सुरक्षा क्षेत्र अधिसूचना जारी की गई है।
- **खतरा रेखा** : तटीय समुदायों के जीवन, आजीविका एवं सम्पत्तियों की सुरक्षा उपाय के उद्देश्य से ज्वारों, लहरों, समुद्र तल में बढ़ोतरी एवं तटरेखा में बदलाव को ध्यान में रखते हुए खतरा रेखा के विचार को पेश किया गया है। खतरा रेखा सीजेडएमपी पर सीमांकन किया जाना है। अधिसूचना के अनुसार, समुद्र मुख के मामले में, खतरा रेखा एवं जमीन की तरफ उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर के बीच पड़ने वाले क्षेत्र, और ज्वार

प्रभावित जल निकायों के मामले में, खतरा रेखा एवं 100 मीटर रेखा के बीच के क्षेत्र को सीआरजेड शामिल करती है। इसका अर्थ हुआ कि, कुछ क्षेत्रों में, सीआरजेड क्षेत्र 500 मीटर समुद्र तट क्षेत्र से आगे (या ज्वार प्रभावित जल निकायों के मामले में 100 मीटर क्षेत्र) विस्तारित हो सकता है।

- **विशेष ध्यान की जरूरत वाले क्षेत्र** : 1991 की अधिसूचना में पूरे भारतीय तटीय क्षेत्र के लिए एक समान विनियमन था। 2011 की अधिसूचना में पर्यावरणीय एवं सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देते हुए, ग्रेटर मुम्बई, केरल, एवं गोवा को विशेष व्यवस्था प्रदान की गई है।
  पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (ईपीए), 1986 के अंतर्गत पहचान किये गये, पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन जैसे एवं इकोलॉजिकल रूप से अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में लागू करने के लिए, अहम संवेदनशील तटीय क्षेत्र (सीवीसीए) जैसी एक श्रेणी भी बनायी गयी हैं।

- **एसईजेड को अनुमति नहीं** : 2011 की अधिसूचना सीआरजेड क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की स्थापना की अनुमति नहीं देती है।

- **स्वीकृति के लिए प्रक्रियाएं** : 1991 की अधिसूचना में सीआरजेड स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं थी और कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। इसके अलावा, स्वीकृति के आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रारूप नहीं दी गई थी। जबकि 2011 की अधिसूचना स्वीकृति की प्रक्रिया एवं समय सीमा को रेखांकित करती है।

- **निगरानी एवं अमल में लाना** : उल्लंघनों को रोकने के लिए अमल में लाने की प्रक्रिया को 2011 की अधिसूचना में मजबूत किया गया है। इसके अलावा, स्वीकृति के बाद निगरानी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।

- **पारदर्शिता** : पारदर्शिता बढ़ाने एवं जन सुनवाई के लिए कुछ उपायों को 2011 की अधिसूचना में शामिल किया गया है।

- **क्षरण संभावित क्षेत्र की पहचान करना** : मानव निर्मित हस्तक्षेपों की वजह से तटीय क्षेत्रों में अनुभव किये गये क्षरण के मद्देनजर, उच्च क्षरण वाले क्षेत्र में तटाग्र विकास को नियंत्रित करने के क्रम में, 2011 की अधिसूचना समुद्र तटों को 'उच्च क्षरण वाले', 'मध्यम क्षरण वाले', एवं 'निम्न क्षरण वाले स्थिर फैलाव' के अंतर्गत वर्गीकृत करने के लिए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन का प्रस्ताव करती है।

- **विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नो डेवलेपमेंट जोन (एनडीजेड) की छूट** : खास परिस्थितियों के अंतर्गत, नो डेवलेपमेंट जोन के 100 से 200 मीटर के अंदर, पारंपरिक समुद्र तटीय समुदायों, खासकर मछुआरों' के आवासीय इकाईयों के निर्माण/पुनर्निर्माण की अनुमति के प्रावधान पेश किये गये हैं।

3. 2011 की अधिसूचना के साथ कुछ प्रमुख समस्या वाले क्षेत्र कौन से हैं, जिसे चुनौती देने की जरूरत है?

- **तटाग्र की जरूरत नहीं चाहने वाली गतिविधियों को सुविधाओं की अनुमति** : जो गतिविधियां न तो प्रत्यक्ष रूप से तट से सम्बंधित हैं और न जिन्हें तटाग्र सुविधाओं की जरूरत है, उन्हें 2011 की अधिसूचना में अनुमति जारी रखी गई है, जैसे कि मुम्बई में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और परमाणु बिजली संयंत्र।

- **स्टिल्ट या खंभो पर सड़कों की अनुमति** : सीआरजेड के अंतर्गत, बगैर स्पष्ट कारण बताए, स्टिल्ट या खंभो पर सड़कों के निर्माण के प्रवधान हैं। ऐसे स्पष्ट प्रावधान काफी दुरूपयोग की संभावना प्रदान करते हैं, और इससे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर जैसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की अनुमति मिल सकती है। ऐसा चेन्नई और मुम्बई में पहले ही देखा जा रहा है।

- **राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सीजेडएमए में मछुआरा समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं** : राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों (सीजेडएमए) में मछुआरा समुदाय का प्रतिनिधित्व का कोई प्रावाधान नहीं है। मछुआरा समुदायों द्वारा ऐसे प्रतिनिधित्व की लम्बे समय से मांग रही है। इसके बगैर, हमारे तटीय प्राकृतिक संसाधनों के सबसे बड़े स्टेकहोल्डर एवं स्वाभाविक संरक्षक, मछुआरा समुदायों को समुद्र तटों के प्रबंधन में जायज भूमिका निभाने से रोका जाता है।

  यह अधिसूचना केवल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अधिसूचना की निगरानी एवं प्रवर्तन में सहयोग करने के लिए गठित, जिला स्तरीय समितियों में स्थानीय पारंपरिक समुदायों, खासकर मछुआरों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है।

- **एनडीजेड में निर्माण/पुनर्निर्माण की अनुमति के प्रावधान समस्याजनक** : खास परिस्थितियों के अंतर्गत, सीआरजेड III में नो डेवलेपमेंट जोन में (100 से 200 मीटर के अंदर), पारंपरिक समुद्र तटीय समुदायों, खासकर मछुआरों' के आवासीय इकाईयों के निर्माण/पुनर्निर्माण की अनुमति के प्रावधान समस्याजनक हैं। सभी तटीय समुदायों के लिए इस प्रावधान को लागू करने से इसमें खामियां दिखती है और जिनका दुरूपयोग हो सकता है, जिससे निर्माण का घनत्व बढ़ सकता है और सीआरजेड III क्षेत्रों में एनडीजेड में तटीय संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है। मछुआरा समुदायों को अपने पेशे के आधार पर समुद्र तट में रहने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, मछुआरा समुदायों ने सिर्फ विशिष्ट मामलों में ऐसी गुंजाइश चाही थी, जहां उनके बसाहटों के विस्तार के लिए कोई अन्य इलाके उपलब्ध न हों।

- **सीवीसीए समस्याजनक** : अहम संवेदनशील तटीय क्षेत्रों (सीवीसीए) के प्रस्ताव से स्थानीय समुदायों को उनके पदनाम एवं प्रबंधन में सीमित भूमिका सहित ऊपर से नीचे के प्रबंधन की अवधारणाओं के दोहराव की आशंका है। इसके बजाय, मछुआरा समुदायों ने समुदाय प्रबंधित तटीय रिजर्वों की मांग की थी।

- **मुम्बई में झुग्गी पुनर्विकास** : मुम्बई के विशेष व्यवस्था के अंतर्गत, उच्च तल जगह सूचकांक (एफएसआई) के साथ झुग्गी पुनर्विकास की अनुमति है। समुद्र तल में बढ़ोतरी से खतरे के कारण, मांग्रोव इलाकों सहित अति संवेदनशील क्षेत्रों में झुग्गी पुनर्वास की अनुमति देने का तर्क संदेहास्पद है। एफएसआई से झुग्गी वासियों को कोई फायदा होने की उम्मीद नहीं है, बल्कि बिल्डरों द्वारा बाहरी लोगों को अतिरिक्त अपार्टमेंट बेचने एवं उससे फायदा कमाने के अवसर मिलने की उम्मीद है। ऐसे प्रावधान से मुम्बई के समुद्र तट में निर्माण का घनत्व बढ़ने की संभावना है।

- **क्षेत्रीय ईआईए तैयार करने के प्रावधान नहीं** : 2011 की अधिसूचना व्यक्तिगत परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करने के आधार के तौर पर क्षेत्रीय पर्यावरण असर आकलन (ईआईए) के उपयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं करती है। वहन क्षमता की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रावधान विभिन्न मौजूदा एवं प्रस्तावित परियोजनाओं के समेकित पर्यावरणीय असरों को ध्यान में लाना जरूरी बनाते हैं।

- **सीजेडएमपी के लगातार संशोधन की अनुमति** : अधिसूचना तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं को पांच साल बाद (या कम में भी) समीक्षा की अनुमति देती है। मछुआरा संगठनों ने मांग की थी कि सीजेडएमपी को सिर्फ 10 साल बाद ही समीक्षा की जाए। क्योंकि लगातार समीक्षा से तटीय क्षेत्रों के पुनः वर्गीकरण एवं नियामक ढांचे को कमजोर करने के अवसर मिल सकते है।

- **पुनःवर्गीकरण की संभावना बनी रहती है** : सम्बंधित समस्या यह है कि सीजेडएमए में प्रस्ताव प्रस्तुत करके, सीआरजेड III इलाकों (मुख्यतः ग्रामीण इलाके) से सीआरजेड II इलाकों (निर्मित इलाके जहां निर्माण एवं अन्य विकास पर थोड़े विनियम हों) में पुनर्वर्गीकरण चाहने की संभावना बनी रहती है। 1991 की अधिसूचना के मामले में, समुद्र तट पर निर्माण के घनत्व को बढ़ाते हुए और अधिसूचना के वास्तविक उद्देश्य की अनदेखी करते हुए, सीआरजेड III से सीआरजेड II में पुनर्वर्गीकरण के ऐसे कई प्रस्ताव मंजूर हुए। जहां पुनर्वर्गीकरण के ऐसे प्रस्तावों के परीक्षण होते हैं, वहां यह राज्य/संघ शासित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर सीजेडएमए में मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधित्व के महत्व को रेखांकित करती है।

4. सीआरजेड 2011 में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो कि मछुआरा समुदाय के लिए लाभकारी हो सकते हैं?

2011 की अधिसूचना के कुछ प्रावधान मछुआरा समुदायों के लिए लाभकारी हो सकते हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि समुदाय स्वयं को इन प्रावधानों से परिचित करें।

निर्णय प्रक्रिया में मछुआरा समुदाय का प्रतिनिधित्व :

- **जिला स्तरीय प्रतिनिधित्व** : 2011 की अधिसूचना में स्थानीय पारंपरिक तटीय समुदायों, खासकर मछुआरों को, अधिसूचना की निगरानी एवं प्रवर्तन में मदद के लिए, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, अधिसूचना के अंतर्गत गठित किये जाने वाले जिला स्तरीय समिति में प्रतिनिधित्व का प्रावधान है *{पैरा 6 (सी)}*। निगरानी एवं प्रवर्तन मुख्यतः राज्य एवं/संघ शासित क्षेत्र स्तर पर सीजेडएमए की जिम्मेदारी होते हैं।

नियोजन में मछुआरा समुदाय की भागीदारी

- **सीजेडएमपी प्रक्रिया में भागीदारी** : 2011 की अधिसूचना के लिए जरूरी है कि योजना की अंतिम मंजूरी से पहले, सीजेडएमपी तैयारी के विभिन्न चरणों में उसे विचार–विमर्श की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाए। सीजेडएमए के लिए जरूरी है कि स्टेकहाल्डरों से सीजेडएमपी मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करके उन्हें शामिल किया जाए *{पैरा 5 (ii), (vi), (vii), (viii); अनुलग्नक 1, पैरा IV}*। यह सीजेडएमपी तैयार करने में मछुआरा समुदाय को अपनी बात व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है।

  सीजेडएमपी में मछुआरों के गांवों और मछुआरों द्वारा उनकी आजीविका एवं अन्य जरूरतों के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले सामूहिक सम्पत्तियों (जेटी, मछली सूखाने के इलाके, एवं मछुआरों और स्थानीय समुदायों की अन्य बुनियादी सुविधाएं) का खाका तैयार करने की उम्मीद की जाती है *{अनुलग्नक 1, पैरा II, 7}*। यह मछुआरा समुदायों के लिए एक अवसर है कि वे सीजेडएमपी में वास्तविक भूमि उपयोग प्रवृत्ति परिलक्षित होना सुनिश्चित करें, और जब अन्य क्षेत्र मछुआरा समुदायों को विस्थापित करने और उनके अवसरों पर कब्जा करने की कोशिश करें तो उनके हितों की रक्षा के लिए सीजेडएमपी का इस्तेमाल सुनिश्चित करें।

- **मछुआरों के गांवों के लिए नियोजन** : तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए दिशानिर्देश पर अनुलग्नक 1 की मांग है कि राज्य सरकारें, विस्तार एवं अन्य जरूरतों, सैनिटेशन, सुरक्षा और अन्य आपदा के लिए तैयारी सहित बुनियादी सेवाओं के प्रावधानों पर ध्यान देते हुए मछुआरा समुदायों की दीर्घकालीन आवासीय जरूरतों के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार करें। मछुआरा समुदायों को अपने गांवों के नियोजित विकास एवं उनके आवास में सुधार के लिए, यह सुनिश्चित करने के वास्ते अपने सम्बंधित राज्य/केन्द्र शासित सरकारों के साथ काम करने की जरूरत है कि प्रावधानों का क्रियान्वयन हो *{अनुलग्नक 1, पैरा II (7)}*।

मछुआरा समुदायों के आवास एवं सम्बंधित सुविधाएं :

- **आवासीय इकाईयों का नियमितीकरण** : मछुआरा समुदायों की आवासीय इकाईयां जो कि सीआरजेड अधिसूचना 1991 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त है, लेकिन जिन्हें औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है, वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमित किये जाएंगे : (i) वे व्यावसायिक गतिविधि के लिए उपयोग न हों, एवं (ii) वे गैर–पारंपरिक तटीय समुदाय को बेची या हस्तांतरित न की जाएं। *{पैरा 6 (डी)}*। ये नियमितीकरण के प्रावधन मछुआरा समुदायों के लिए लाभकारी हो सकते हैं।
- **आवासीय इकाईयों का पुनर्निर्माण/मरम्मत** : स्थानीय टाउन एंड कंट्री नियोजन विनियमों के अनुसार, स्थानीय समुदायों, खासकर मुछआरों के आवासीय इकाईयों का पुनर्निर्माण, मरम्मत कार्य को सीआरजेड के अंतर्गत स्वीकार्य बना दिया गया है *{पैरा 3 (इ)}*।
- **सीआरजेड III में 200 से 500 मीटर के अंतर्गत आवासीय इकाईयों का निर्माण/पुनर्निर्माण** : 200 से 500 मीटर तक के आवासीय इकाईयों का निर्माण/पुनर्निर्माण, यदि वे पारंपरिक अधिकार एवं पारंपरिक इस्तेमाल के दायरे में हैं तो, उन्हें 1991 की अधिसूचना के अनुरूप ही अनुमति है। ऐसे निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए भवन की अनुमति स्थानीय टाउन एंड कंट्री नियोजन नियमों के अधीन होंगे, जिसके निर्माण की कुल ऊंचाई दो तलों (भूतल एवं एक तल) सहित 9 मीटर से ज्यादा न हो *{पैरा 8, III (सीआरजेड III), बी (vii)}*। जबकि, ऐसे निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए अन्य मानकों में छूट दी गई है। 2011 की अधिसूचना यह शर्त नहीं तय करती है कि अनुमति तभी दी जाएगी जब आवासीय इकाईयों की कुल संख्या मौजूदा संख्या के दोगुने से ज्यादा न हो और यह कि सभी तलों पर कुल कवर क्षेत्र प्लॉट के आकार के 33 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा।
- **सीआरजेड III में एनडीजेड में छूट** : नो डेवलेपमेंट जोन के 100 से 200 मीटर के अंदर, पारंपरिक समुद्र तटीय समुदायों, खासकर मछुआरों, के आवासीय इकाईयों के निर्माण/पुनर्निर्माण की अनुमति में छूट के प्रावधान पेश किये गये हैं। यह पारंपरिक तटीय समुदायों, खासकर मछुआरों, के साथ विचार विमर्श से एवं आपदा प्रबंधन एवं सैनिटेशन के लिए आवश्यक प्रावधानों को शामिल करते हुए, राज्य सरकार/केन्द्र शासित राज्य द्वारा मंजूरी से व्यापक योजना पर आधारित होगा *{पैरा 8, III (सीआरजेड III), ए (ii)}*। जबकि, जैसा जिक्र किया गया है, इसमें सजग रहने की जरूरत है कि एनडीजेड में छूट देने से 100 से 200 मीटर के क्षेत्र में अनुचित निर्माण के गुप्त रास्तों को मौका मिल सकता है।

- **एनडीजेड में सुविधाएं** : सीआरजेड III के अंतर्गत एनडीजेड में 2011 की अधिसूचना स्थानीय मछुआरा समुदायों के लिए जरूरी सुविधाएं लगाने की अनुमति देती है, जैसे कि मछली सूखाने के यार्ड, नीलामी हॉल, जाल मरम्मत के यार्ड, पारंपरिक नाव निर्माण यार्ड, बर्फ संयंत्र, बर्फ तोड़ने के संयंत्र, मछली के उपचार सुविधाएं, आदि *{पैरा 8, III (सीआरजेड III), ए (iii) (एल)}*।

  औषधालयों, स्कूलों, सार्वजनिक बारिश शेल्टर, सामुदायिक टॉयलेटों, पुलों, सड़कों, जल आपूर्ति की सुविधाओं के प्रावधान, ड्रेनेज, सीवेज, शमशान भूमि, कब्रिस्तान एवं बिजली सब–स्टेशन, जो कि स्थानीय निवासियों के लिए जरूरी हों, उन्हें सीजेडएमए द्वारा अलग–अलग मामलों के आधार पर अनुमति दी जा सकती है *{पैरा 8, III (सीआरजेड III), ए (iii) (जे)}*।

- **मुम्बई के कोलीवाड़ो का विशेष प्रावधान** : ग्रेटर मुम्बई को दी गई विशेष व्यवस्था में, यह निर्दिष्ट किया गया है कि कोलीवाडों का खाका तैयार करके सीआरजेड III के अंतर्गत घोषित किया जाएगा। इसके अलावा, मछुआरा समुदायों के आवासीय इकाईयों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी। ये प्रावधान मुम्बई में मछुआरा समुदायों को अपने पारंपरिक जमीनों में कायम रहने के अधिकार में सहयोगी हो सकते हैं। जब इसे मछुआरों के गांवों के लिए दीर्घकालीन विकास योजनाओं की तैयारी से मिलाया जाए तो, यह कोलीवाडों को झुग्गी विकास के मानक के अंतर्गत आये बगैर इलाकों को विकास करने का अच्छा अवसर प्रदान करता है।

जानकारी उपलब्धता

- **जानकारी उपलब्धता** : सीजेडएमपी, स्वीकृतियों, अनुपालन रिपोर्टों, उल्लंघनों, उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई और सीआरजेड से सम्बंधित अदालत के आदेश से सम्बंधित सभी जानकारी को सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध कराना 2011 की अधिसूचना के अंतर्गत बाध्यकारी बना दिया गया है। सीआरजेड के बारे में कोई भी जानकारी सम्बंधित सीजेडएमए को लिखकर हासिल किया जा सकता है। उपरोक्त के अलावा, हरेक राज्य/संघ शासित राज्य के हरेक सीजेडएमए के लिए समर्पित वेबसाइट तैयार करना जरूरी होगा, जिस पर बैठकों के एजेंडा पर जानकारी, लिये गये निर्णय, दी गई मंजूरियों के बारे में जानकारी डालना होगा। जानकारी वास्तव में प्रदान किया जाए, और जानकारी को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जाए, यह यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य/केन्द्र शासित राज्य के वेबसाइट के बारे में निगाह रखना अहम है *{पैरा 4.2 (vi)}*।

तटीय जल एवं इकोसिस्टम का प्रदूषण एवं क्षरण नियंत्रण :

- सीआरजेड IV अपने अंतर्गत 12 नॉटिकल मील क्षेत्रीय सीमा और ज्वार प्रभावित जल निकायों को शामिल करती है। यह अधिसूचना इन क्षेत्रों में इकोसिस्टम के लिए हानिकारक गतिविधियो को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए, मछली पालन सहित सभी गतिविधियों से गैर–उपचारित सीवेज, प्रवाहों, कंकड़ जल, जहाज धुलाई, फ्लाई ऐश या ठोस कचरे की निकासी प्रतिबंधित है। सीआरजेड IV इलाके में, तेल एवं गैस अन्वेषण, खनन, नावघर एवं शिपिंग के प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना है *{पैरा 8, IV (ए) एवं (बी)}*।

सभी तटीय राज्य के लिए जरूरी है कि वे अधिसूचना जारी होने की तारीख (6 जनवरी 2011) से दो साल के अंदर मौजूदा उद्योगों, शहरों, नगरों एवं अन्य मानव बसाहटों से निकलने वाले गैर–उपचारित कचरों एवं प्रवाहों की व्यवस्था समाप्त करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, यह जरूरी है कि अधिसूचना जारी होने के एक साल के अंदर ठोस कचरों (निर्माण के मलबे, फ्लाई ऐश आदि) को गिराना समाप्त किया जाए।

चूंकि तटीय जल एवं इकोसिस्टम का प्रदूषण एवं क्षरण मछुआरा समुदायों के लिए प्रमुख चिंता का विषय है, इसलिए यदि ये प्रावधान क्रियान्वित होते हैं तो काफी उपयोगी होंगे। मछुआरा समुदायों को ऐसे प्रदूषण एवं कचरा गिराने की निगरानी करने एवं इसे सबके ध्यान में लाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए।

5. मछुआरा समुदाय उल्लंघनों को रोकने में भूमिका कैसे निभा सकते हैं?

मछुआरा समुदाय पूरे भारत के तटीय क्षेत्र में फैले हुए हैं। वे समुद्र तट एवं तटीय जलों में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में हैं। यह उनके हित में है कि तटीय इकोसिस्टम के बेहतर संरक्षण के लिए वे सीआरजेड अधिसूचना 2011 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। यह सबको मालूम है कि 1991 की अधिसूचना के खराब क्रियान्वयन से समुद्र तट के आस–पास अनियंत्रित अवैध विकास हुए, जिससे मछुआरा समुदाय का जीवन और आजीविका प्रभावित हो रहा है। ऐसा पुनः होने से रोकने के लिए, समुदायों को हमेशा चौकस रहना होगा।

यह बहुत अहम है कि समुदाय स्वयं को सीआरजेड अधिसूचना 2011 के प्रमुख प्रावधानों से परिचित करें। उन्हें एससीजेडएमए से तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं (सीजेडएमपी) की उपलब्धता की मांग करनी चाहिए। इस सन्दर्भ में, यह ध्यान में रखा जाए कि नये सीजेडएमपी की मंजूरी होने तक, 2011 की अधिसूचना के अनुसार, सीआरजेड अधिसूचना 1991 के अंतर्गत तैयार सीजेडएमपी का पालन किया जाएगा।

सीआरजेड I, II एवं III के अंदर उल्लंघन (तटीय भूमि)

समुदायों को सीआरजेड के अंदर बड़ी परियोजनाओं या निर्माण गतिविधियों के प्रति सजग रहने की जरूरत है (यह ध्यान में रखते हुए कि वह क्षेत्र सीआरजेड I, II या III है)। यदि ऐसा संदेह हो कि कोई गतिविधि सीआरजेड अधिसूचना 2011 का उल्लंघन करती है तो, निम्न सहित कई उपाय किये जा सकते हैं :

- परियोजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटायें, जिसमें परियोजना लगाने वाली कंपनी, सरकारी विभाग/एजेंसी, या व्यक्ति का नाम एवं सटीक स्थान शामिल हो (सर्वेक्षण संख्या)।

- जांच करें कि परियोजना को सीजेडएमए द्वारा अनुमति दी गई है कि नहीं। 2011 के अधिसूचना के अंतर्गत परियोजना की सभी मंजूरियों को राज्य/संघ शासित राज्य सीजेडएमए के वेबसाइट पर डालना जरूरी है। यदि ऐसी कोई अनुमति नहीं डाली गयी है तो, सम्बंधित सीजेडएमए से स्पष्टीकरण के लिए तत्काल सम्पर्क करें, और ऑनलाईन जानकारी डालने का अनुरोध करें।

- यदि अनुमति नहीं दी गई है तो, दूसरे शब्दों में परियोजना अवैध है, तत्काल राज्य/संघ शासित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को शिकायत भेजें, जिसकी प्रति एनएफएफ महासचिव को भी भेजें।

- यह भी संभव है कि परियोजना दी गयी मंजूरी के शर्तों व नियमों का उल्लंघन कर रही हो। तब, मंजूरी की प्रति हासिल करके जांच करना अहम है।

- यदि ऐसी आशंका हो कि सीआरजेड अधिसूचना के प्रावधानों (सीजेडएमपी देखें) का उल्लंघन करके अनुमति प्रदान की गई है, और परियोजना से तटीय इकोसिस्टम पर महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल असर होगा तो, उल्लंघन के स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए, अपने मामले के समर्थन में, जारी गतिविधि का स्वभाव, परियोजना का मौजूदा/संभावित असर, उल्लंघन के फोटो, गूगल अर्थ के उपयोग से स्थान पता लगाने, आदि सहित ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाएं।

- सभी शिकायत राज्य/संघ शासित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए, जिसकी प्रति एनएफएफ महासचिव को भी भेजें। सम्बंधित पते परिशिष्ट में दिये गये हैं।

- यदि कोई जानकारी हासिल करना मुश्किल हो तो, उसे सम्बंधित एससीजेडएमए, ग्राम पंचायतों या नगर निगमों, एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से सहित सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करके जुटाया जा सकता है।

सीआरेड IV के अंतर्गत उल्लंघन (क्षेत्रीय जल एवं ज्वार प्रभावित जल निकाय)

समुदायों को तटीय जलों में कचरा डालने एवं प्रदूषण के प्रति सजग रहना चाहिए। ऐसे सभी मामलों (खासकर फोटो, गाड़ी नम्बर या नौका/जहाज का नाम, सटीक स्थान, आदि सहित यथा संभव जानकारी के साथ) को उचित कार्रवाई की मांग करते हुए राज्य/संघ शासित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

सीआरजेड अधिसूचना 1991 का उल्लंघन

25 जनवरी 2011 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत तटीय राज्यों/संघ शासित राज्यों में सभी तटीय प्रबंधन प्राधिकरणों को निम्न उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश (ज्ञापन संख्या 11–83/2005–आईए–।।। दिनांक 25.1.2011) जारी किया :

(क) तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के उल्लंघन की पहचान करना एवं इस आधार पर इस दिशानिर्देश के प्राप्त होने के चार महीनों के अंदर सम्बंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना स्वीकृत करने के लिए;

(ख) उल्लंघनों की पहचान किये जाने के चार महीनों के अन्दर उस पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए;

(ग) पहचान किये गये उल्लंघनों के सम्बंधित विवरणों को एवं उन पर की गई कार्रवाई सहित, उपरोक्त सम्बंधित वेबसाइट पर पैरा (ए) एवं (बी) के अनुसार, हरेक पखवाड़े में अपलोड करने के लिए।

पिछले दो दशकों में हुए उल्लंघनों को उजागर करने एवं राज्य/संघ शासित क्षेत्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से जवाबदेही की मांग करने का यह एक अवसर है।

मौजूदा उल्लंघनों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी (जैसा कि पहले चर्चा किया गया) जुटाने का प्रयास करें, एवं राज्य/संघ शासित क्षेत्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तत्काल शिकायत भेजें, जिसकी प्रति एनएफएफ के महासचिव को भी भेजें।

परिशिष्ट

महत्वपूर्ण वेबसाइट एवं पते :

वेबसाइट :सरकारी एजेंसियां

राष्ट्रीय स्तर पर : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

www.moef.nic.in

http://envfor.nic.in/legis/crz.htm

http://moef.nic.in/modules/others/?f=press-releases

http://moef.nic.in/modules/public-information/orders-guidelines/

राज्य स्तरीय :

गुजरात : http://gujenvfor.gswan.gov.in/e-citizen/e-citizen-clearances.htm

दमन एवं दीव : www.daman.nic.in

महाराष्ट्र : http://mczma.maharashtra.gov.in/
http://envis.maharashtra.gov.in/
http://envis.maharashtra.gov.in/envis_data/?q=mczma_s

कर्नाटक : http://parisara.kar.nic.in/

केरल : http://www.kerenvis.nic.in/kczma/

तमिलनाडु : http://www.tnenvis.nic.in/crz_noti_coastal.htm

पुडुचेरी : http://dste.puducherry.gov.in/PCZMAHOME.htm

पश्चिम बंगाल :http://wbsczma.gov.in/
http://enviswb.gov.in/

पते :

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मुख्य कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय	**<u>दक्षिणी क्षेत्र, बंगलोर</u>** श्री के. एस. रेड्डी मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) केन्द्रीय सदन, चौथा तल ई एवं एफ विंग, दूसरा ब्लॉक, कोरामंगला बंगलोर – 560034 टेलीफैक्स : 080 – 25537184 **<u>पूर्वी क्षेत्र, भुवनेश्वर</u>** श्री जे. के. तिवारी मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) ए/3, चन्द्रशेखरपुर भुवनेश्वर – 751023 फोन : 0674 – 2301213 फैक्स : 0674 – 2302432 पश्चिमी क्षेत्र, भोपाल श्री ए. के. राणा मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड न. 3 भोपाल – 462016 फोन : 0755 –2465494
राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण	अध्यक्ष, राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यावरण भवन, सीजीओ कम्पलेक्स, लोधी रोड नयी दिल्ली – 110003
राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण	
गुजरात	अध्यक्ष, गुजरात राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एवं प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग ब्लॉक न. 14, 8वां तल, सचिवालय गांधी नगर – 382010, गुजरात सदस्य सचिव, गुजरात राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एवं निदेशक वन एवं पर्यावरण विभाग ब्लॉक न. 14, 8वां तल, सचिवालय गांधी नगर – 382010, गुजरात
दमन एवं दीव	अध्यक्ष, दमन एवं दीव तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एवं प्रशासक दमन एवं दीव, दमन – 396210

	उप वन संरक्षक, उप वन संरक्षक कार्यालय दमन एवं दीव प्रशासन, दमन – 396210
	अध्यक्ष, महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण पर्यावरण विभाग 15वां तल, नया प्रशासनिक भवन, मंत्रालय के सामने मैडम कामा रोड मुम्बई – 400020 सदस्य सचिव महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण पर्यावरण विभाग 15वां तल, नया प्रशासनिक भवन, मंत्रालय के सामने मैडम कामा रोड मुम्बई – 400020
गोवा	अध्यक्ष, गोवा राज्य्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एवं मुख्य सचिव पणजी, गोवा सदस्य सचिव, गोवा राज्य्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण गोवा सरकार विज्ञान, प्रौद्यौगिकी एवं पर्यावरण विभाग सलिगावो सेमिनरी के सामने सेलिगावो, गोवा – 403511
कर्नाटक	अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एवं प्रधान सचिव वन, इकोलॉजी एवं पर्यावरण विभाग कर्नाटक सरकार बहुमंजिला भवन, के. जी. रोड बंगलोर – 560001 सदस्य सचिव कर्नाटक राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एवं निदेशक पर्यावरण तकनीकी सेल वन, इकोलॉजी एवं पर्यावरण विभाग कर्नाटक सरकार बहुमंजिला भवन, के. जी. रोड बंगलोर – 560001
केरल	अध्यक्ष, केरल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण शस्त्र भवन, पट्टोम तिरूवनंतपुरम – 4

	सदस्य सचिव, केरल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एवं निदेशक विज्ञज्ञन, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद शस्त्र भवन, पट्टोम तिरूवनंतपुरम – 4
लक्षद्वीप	अध्यक्ष, लक्षद्वीप तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एवं प्रशासक लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र प्रशासन कवारत्ती – 682555 सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं लक्षद्वीप तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र प्रशासन कवारत्ती – 682555
तमिलनाडु	अध्यक्ष, तमिलनाडु राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एवं प्रधान सचिव पर्यावरण एवं वन विभाग पहला तल, पनागल भवन सैदापेट, चेन्नई – 600015 तमिलनाडु सदस्य सचिव तमिलनाडु राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एवं निदेशक पर्यावरण विभाग, तमिलनाडु सरकार भूतल, पनागल भवन सैदापेट, चेन्नई – 600015 तमिलनाडु
पुडुचेरी	अध्यक्ष, पुडुचेरी तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एवं प्रधान सचिव विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग एवं हाउसिंग बोर्ड पुडुचेरी – 605001 सदस्य सचिव, पुडुचेरी तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एवं निदेशक विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग एवं हाउसिंग बोर्ड पुडुचेरी – 605001
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	अध्यक्ष, अंडमान एवं निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण प्रधान वन संरक्षक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन चैथम, पोर्ट ब्लेयर – 744102

	वन संरक्षक, एवं सदस्य सचिव अंडमान एवं निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन चैथम, पोर्ट ब्लेयर – 744102
आंध्र प्रदेश	अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश सरकार पर्यावरण, वन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सचिवालय, हैदाराबाद –500022 सदस्य सचिव, आंध्र प्रदेश राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश सरकार पर्यावरण, वन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सचिवालय, हैदाराबाद –500022
उड़ीसा	अध्यक्ष, राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एवं प्रधान सचिव विज्ञान, प्रौद्योगिकी पर्यावरण एवं वन खंड उड़ीसा सचिवालय भुवनेश्वर – 751001 सदस्य सचिव राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एवं निदेशक विज्ञान, प्रौद्योगिकी पर्यावरण एवं वन खंड उड़ीसा सचिवालय भुवनेश्वर – 751001
पश्चिम बंगाल	अध्यक्ष, सचिव पर्यावरण विभाग पश्चिम बंगाल सरकार राइटर्स भवन, जी ब्लॉक दूसरा तल, कोलकाता – 700001 सदस्य सचिव, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सदस्य सचिव पश्चिम बंगाल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिबेश भवन, 10 ए, ब्लॉक एल ए, सेक्टर –3 साल्ट लेक सिटी, कोलकाता – 700098

राष्ट्रीय मछुआरा फोरम (एनएफएफ) में सम्पर्क व्यक्ति का पता :

श्री प्रदीप चटर्जी
20/4 सिल लेन
कोलकाता
पश्चिम बंगाल (भारत)
ईमेल : pradipdisha@gmail.com

www.coastalcampaign.page.tl

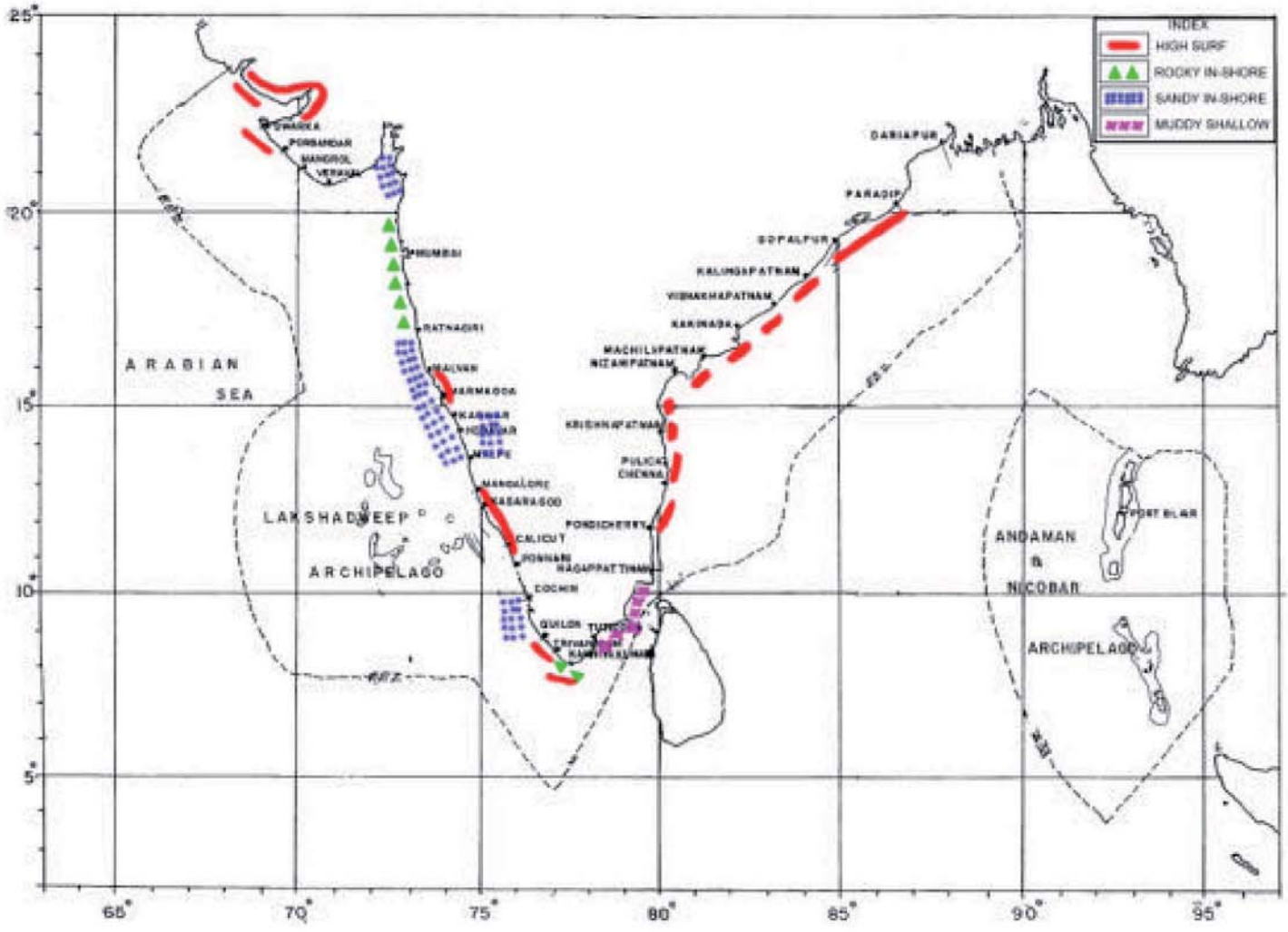

INDEX
HIGH SURF
ROCKY IN-SHORE
SANDY IN-SHORE
MUDDY SHALLOW
ARABIAN
SEA
LAKSHADWEEP
ARCHIPELAGO
ANDAMAN
&
NICOBAR
ARCHIPELAGO
DWARKA
PORBANDAR
MANGROL
VERAVAL
MUMBAI
RATNAGIRI
MALVAN
MARMAGOA
MANGALORE
KASARAGOD
CALICUT
PONNANI
COCHIN
QUILON
NAGAPPATTINAM
PONDICHERRY
CHENNAI
PULICAT
KRISHNAPATNAM
NIZAMPATNAM
MACHILIPATNAM
KAKINADA
VISHAKHAPATNAM
KALINGAPATNAM
GOPALPUR
PARADIP
DARIAPUR
PORT BLAIR
25°
20°
15°
10°
5°
65°
70°
75°
80°
85°
90°
95°